

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:- प्र01/गै0यो0बजट-02/2014
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वेतन एवं वेतनादि के अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद से सहायक अनुदान के रूप में 5.5992 करोड़ (पाँच करोड़ उन्नसठ लाख वानवे हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) की योजना मद में स्वीकृत पदों को गैर योजना मद में हस्तांतरित करने का निर्णय वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यादेश संख्या-2431 दिनांक-14.06.2010 में लिया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्रेडा को उपलब्ध कराई गई राशि में रू0- 5,29,47,831 करोड़ (पाँच करोड़ उनतीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ एकतीस) रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वेतन एवं वेतनादि के अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद से सहायक अनुदान के रूप में 5.5992 करोड़ (पाँच करोड़ उन्नसठ लाख वानवे हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 2810-अपारम्परिक श्रोत, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य, लघु शीर्ष-600-ऊर्जा के अन्य श्रोत, मांग संख्या- 10 ऊर्जा विभाग उपशीर्ष-0002- बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी सहायक अनुदान विपत्र कोड-10-2810606000002 विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान- वेतन मद से 5.3324 करोड़ रूपये एवं 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में 26.68 लाख रूपये। कुल 5.5992 करोड़ (पाँच करोड़ उन्नसठ लाख वानवे हजार) रूपये मात्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से बी0टी0सी0फॉर्म 42 में की जायेगी तथा निकासी के बाद राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ब्रेडा को किया जायेगा एवं इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार कार्यालय को 18 माह के अंदर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5

8. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन सचिका संख्या- प्र01/गै0यो0बजट-02/2014 के पृष्ठ संख्या 66/टि0 पर दिनांक 08.03.2018 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- प्र01/गै0यो0बजट-02/2014 पृष्ठ संख्या-69/टि0 पर दिनांक-12.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रत्यय अमृत),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र01/गै0यो0बजट-02/2014

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र01/गै0यो0बजट-02/2014 811

पटना, दिनांक- 13/03/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।